संख्या-573/2021/ I/124423/2021/23-11099(099)/168/2021

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर, 2021**

विषय:- जनपद गोरखपुर में चौरीचौरा-चमड़ा मण्डी-मुण्डेरा बाजार-सोनबरसा मार्ग पर स्थित सम्पार सं0-147बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु निर्माण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-557/आर0ओ0बी0/गोरखपुर क्षेत्र/सेतु-3/2021, दिनांक 22-10-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में चौरीचौरा-चमड़ा मण्डी-मुण्डेरा बाजार-सोनबरसा मार्ग पर स्थित सम्पार सं0-147बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण डिपॉजिट कार्य के रूप में कराये जाने हेतु आंकलित लागत रू0 5944.18 लाख (रूपये उनसठ करोड़ चौव्वालिस लाख अट्ठारह हजार मात्र) (जिसमें मुख्य सेतु रेलवे पोर्शन की लागत रू0 1022.35 लाख एवं पहुँच मार्ग आदि की लागत रू0 4921.83 लाख सम्मिलित है) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2021-22 में लागत के सापेक्ष कुल रू0 50.00 लाख (रूपया पचास लाख मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तो/ प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	आवंटन की फांट		
				अनु0-57	अनु0-83	योग
1	गोरखपुर	जनपद गोरखपुर में चौरीचौरा-चमड़ा मण्डी-मुण्डेरा बाजार-सोनबरसा मार्ग पर स्थित सम्पार सं0-147बी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।	5944.18	39.40	10.60	50.00

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25-01-2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दिनांक 11 नवम्बर 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25-01-2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक 1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट कर जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(9) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तवित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(10) व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतय: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(11) प्रायोजना में यूटिलिटी शिफ्टिंग के अन्तर्गत स्ट्रीट लाइट शिफ्टिंग एवं बी0एल0ए0एल0 विभाग हेतु आगणन के आधार पर कुल रू0 13.51 लाख की धनराशि अनुमन्य की गयी है एवं सी0आर0आर0आई0 कन्सल्टेन्सी हेतु धनराशि 1.50 प्रतिशत सेन्टेज के अन्तर्गत एवं शेष धनराशि अलग से अनुमन्य की गयी है। इन कार्यो का निर्माण/स्थापना न्यूनतम आवश्यकतानुसार सक्षम स्तर से शासकीय नियमों में निहित प्राविधानों के अनुरूप अनुमोदित प्रायोजना प्रस्ताव के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(12) प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(14) प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। आर0ओ0बी0 की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(15) प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(16) प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं को दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाय। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायी होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकतानुसार ही किया जाय। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत कार्य का उपयोग करने के

उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(17) प्रश्नगत सेतु निर्माण (मुख्य सेतु-रेलवे पोर्शन को छोड़कर) के लिये उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 कार्यदायी संस्था होगी।

(18) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22-03-2021 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-57 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-05-रेल उपरिगामी सेतु-0517-रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य तथा अनुदान सं0-83 के लेखशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़के-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-19-रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रदान की गयी अनुदान सं0-57 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-3140-दस-2021-2022, एवं अनुदान सं0-83 हेतु अशासकीय संख्या-ई-8-3142-दस-2021-2022, दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 में उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- महाप्रबन्धक, सम्बन्धित रेल विभाग, भारत सरकार।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
14- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।